संख्या 34 /2022/1400 ई-2/तेरह-2022-1496326

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊःदिनांकः** 16 **अगस्त, 2022**

विषय- शीरा नीति 2021-22 में निर्धारित शीरे के आरक्षण प्रतिशत को बढाये जाने **के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -जी-43 /दस-185 /शीरा नीति /2021-22 दिनांक 03 अगस्त, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों द्वारा देशी मदिरा की सुचारू रूप से निर्माण तथा आपूर्ति किये जाने के दृष्टिगत राजस्वहित में वर्तमान आरक्षित शीरे के निर्धारित सीमा 18 प्रतिशत में 02 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रश्नगत आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत (सी-हैवी के टर्म में) किये जाने व तद्नुरूप आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य अनिवार्य रूप से निर्धारित निकासी के अनुपात 1:4.55 के स्थान पर 1:40 किये जाने जिसकी आपूर्ति सी-हैवी अथवा उसके समतुल्य बी-हैवी शीरे से की जा सकती है, की अनुमति प्रभावी शीरा नीति वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत प्रदान **किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शीरा नीति वर्ष 2021-22 की शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।**

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव